अनुदेश संख्या. 03/2025-जीएसटी

फा. सं. सीबीआईसी-20016/24 /2025 -जीएसटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

जीएसटी पॉलिसी विंग

****

नई दिल्ली, तारीख 17 अप्रैल, 2025

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त

महोदया/महोदय,

विषय: जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदनों के प्रक्रिया हेतु अनुदेश - के संदर्भ में।

जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने में आवेदकों के समक्ष आ रही कठिनाइयों से संबंधित बोर्ड में संदर्भ प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से आवेदन फॉर्म जीएसटी आरईजी-01में प्रस्तुत सूचना के संबंध में अधिकारियों द्वारा मांगे जा रहे स्पष्टीकरण की प्रकृति और अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग शामिल है, जो कि फॉर्म जीएसटी आरईजी-01के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची में निर्धारित नहीं हैं। एक ओर जहां बिना किसी अंतर्निहित आपूर्ति के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पारित करने के लिए बनाई गई धोखाधड़ी वाली फर्मों के पंजीकरण को रोकने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि पंजीकरण चाहने वाले वास्तविक आवेदकों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।

2. यह देखा गया है कि फॉर्म जीएसटी आरईजी-01 में दिए गए दस्तावेजों और विवरणों के सत्यापन के संबंध में अधिकारियों द्वारा विभिन्न पद्धतियों का पालन किया जा रहा है। यह भी देखा गया है कि आवेदन को कार्रवाई करते समय, अधिकारियों द्वारा अनावश्यक स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं, जिससे पंजीकरण प्राप्त करने में देरी हो रही है और आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जा रहा है।

3. फॉर्म जीएसटी आरईजी-03में मांगी गई जानकारी/स्पष्टीकरण/दस्तावेजों के विश्लेषण से पता चलता है कि ये मुख्य रूप से व्यवसाय के मुख्य स्थान के प्रमाण, व्यवसाय के गठन, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मालिक आदि के पहचान विवरण के संबंध में थे।

4. पंजीकरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश पहले ही 14 जून, 2023 के अनुदेश संख्या 03/2023-जीएसटी के माध्यम से जारी किए गए थे।हालांकि, बैक ऑफिस में कई बदलाव हुए हैं और पंजीकरण से संबंधित शिकायतों की संख्या में वृद्धि के कारण, नवीनतम घटनाक्रमों पर ध्यान रखने और पंजीकरण आवेदन के प्रक्रिया के लिए अधिकारियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए एक व्यापक अनुदेश जारी किया जा रहा है। तदनुसार, उपर्युक्त अनुदेश के स्थान पर निम्नलिखित अनुदेश जारी किए जा रहे हैं।

5. पंजीकरण आवेदन के साथ प्रस्तुत करने के लिए **फॉर्म जीएसटी आरईजी-01** में दस्तावेजों की एक सांकेतिक सूची निर्धारित की गई है। पंजीकरण आवेदनों को संभालने वाले अधिकारियों को उपर्युक्त दस्तावेजों की सूची को ध्यान से देखना चाहिए और पंजीकरण आवेदन कीप्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित अनुदेशों का सख्ती से पालन करना चाहिए:

6. **आवेदनों पर कार्रवाई करते समय आवेदक से मांगे जाने वाले दस्तावेज::**

क. **व्यवसाय के मुख्य स्थान (पीपीओबी) के संबंध में दस्तावेज:** व्यवसाय के मुख्य स्थान के प्रमाण के लिए फॉर्म जीएसटी आरईजी-01 में दस्तावेजों की एक सांकेतिक सूची निर्धारित की गई है।

(i) **स्वामित्व वाले परिसर** के मामले में, आवेदक को उपर्युक्त सूची में सूचीबद्ध दस्तावेज अपलोड करने होंगे। सूची में मालिक की नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगर निगम खाता प्रति या बिजली बिल की प्रति शामिल है। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त सूची में उल्लिखित दस्तावेजों में से कोई एक या कोई समान दस्तावेज जैसे पानी का बिल या राज्य या स्थानीय कानूनों के तहत निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज जो आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिसर के स्वामित्व को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है, पर्याप्त होना चाहिए। पोर्टल पर अपलोड किया गया कोई भी एक दस्तावेज पर्याप्त होगा और आवेदक से परिसर के स्वामित्व के प्रमाण के लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगा जाना चाहिए। पंजीकरण आवेदन प्रक्रिया केदौरान, अधिकारी द्वारा इन दस्तावेजों की मूल भौतिक प्रति मांगने के लिए प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए।

(iiक) ऐसे मामलों में **जहां परिसर किराए पर दिया गया है**, आवेदक को परिसर के स्वामित्व को पट्टादाता द्वारा स्थापित करने के लिए **फॉर्म जीएसटी आरईजी-01**में दस्तावेजों की सांकेतिक सूची में उल्लिखित किसी भी एक दस्तावेज के साथ वैध किराया/पट्टे समझौते को अपलोड करना आवश्यक है।सूची में नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाता की प्रति या बिजली बिल की प्रति शामिल है।हालांकि, यह देखा गया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पट्टादाता से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जैसे उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पट्टादाता की संपत्ति के सामने या अंदर की तस्वीर आदि। यह सलाह दी जाती है कि उक्त सूची में उल्लिखित **दस्तावेजों में से** कोई एक या इसी प्रकार के

दस्तावेज जैसे कि पानी का बिल या राज्य या स्थानीय कानूनों के तहत निर्धारित कोई दस्तावेज जो स्पष्ट रूप से पट्टादाता द्वारा परिसर के स्वामित्व को स्थापित करता है, व्यवसाय के मुख्य स्थान का पर्याप्त सबूत होना चाहिए।

(iiख) यह भी सलाह दी जाती है कि यदि किराया/पट्टा समझौता पंजीकृत नहीं है, तो उपरोक्त सूची में उल्लिखित दस्तावेजों में से किसी एक के साथ समझौता और पट्टादाता के पहचान प्रमाण की एक प्रति पर्याप्त होनी चाहिए। ऐसे मामले में जहां किराया/लीज समझौता पंजीकृत है, तो उपरोक्त सूची में उल्लिखित किसी एक दस्तावेज के साथ समझौता पर्याप्त होना चाहिए तथा पट्टादाता से कोई पहचान प्रमाण नहीं मांगा जाना चाहिए।हालांकि, यदि बिजली या पानी का कनेक्शन आवेदक किरायेदार के नाम पर है, तो किराए के समझौते के साथ-साथ इसे प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ को वैध सबूत के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और पट्टादाता से संबंधित कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ नहीं मांगा जाना चाहिए।

(iii) उपरोक्त (i) और (ii) के अंतर्गत न आने वाले परिसरों के लिए, जैसे कि जहां परिसर का स्वामित्व पति/पत्नी, रिश्तेदार आदि के पास है, परिसर के संबंधित मालिक द्वारा सादे कागज पर सहमति पत्र, सहमति देने वाले व्यक्ति के पहचान प्रमाण की एक प्रति तथा सहमति देने वाले के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में फॉर्म जीएसटी आरईजी-01में संलग्न दस्तावेजों की सूची में उल्लिखित किसी एक दस्तावेज के साथ पर्याप्त होना चाहिए।सूची में नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाता की प्रति या बिजली बिल की प्रति शामिल है। इनमें से कोई भी दस्तावेज या इसी प्रकार के दस्तावेज जैसे कि पानी का बिल या राज्य या स्थानीय कानूनों के तहत निर्धारित कोई भी दस्तावेज जो स्पष्ट रूप से सहमतिकर्ता द्वारा परिसर के स्वामित्व को स्थापित करता है, पर्याप्त होना चाहिए और आवेदक से कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगा जाना चाहिए।

(ivक) साझा परिसर के संबंध में, जहां किराया/पट्टा समझौता उपलब्ध है, आवेदक परिसर के स्वामित्व से संबंधित उक्त सूची में से किसी एक दस्तावेज के साथ समझौते की प्रति अपलोड कर सकता है जिसमें नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाता प्रति या बिजली बिल की प्रति शामिल है।ऐसे मामलों में जहां किराया/पट्टा समझौता पंजीकृत नहीं है, तो ऊपर दी गई सूची में उल्लिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज के साथ समझौता और पट्टादाता के पहचान प्रमाण की एक प्रति पर्याप्त होनी चाहिए।ऐसे मामले में जहां किराया/पट्टा समझौता पंजीकृत है, वहां ऊपर दी गई सूची में से किसी एक दस्तावेज के साथ समझौता पर्याप्त होना चाहिए तथा पट्टादाता से कोई पहचान प्रमाण नहीं मांगा जाना चाहिए।

(ivख) ऐसे मामलों में जहां किराया/पट्टा समझौता उपलब्ध नहीं है, आवेदक सहमतिकर्ता से सहमति पत्र सादे कागज पर अपलोड कर सकता है, साथ ही सहमतिकर्ता का पहचान प्रमाण तथा सहमतिकर्ता

के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में उक्त दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज अपलोड कर सकता है। ऐसे मामलों में, उक्त सूची में उल्लिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक या राज्य या स्थानीय कानूनों के तहत निर्धारित समान दस्तावेज जो स्पष्ट रूप से सहमतिकर्ता द्वारा परिसर के स्वामित्व को स्थापित करता है, पर्याप्त होगा तथा सहमतिकर्ता द्वारा परिसर के स्वामित्व के प्रमाण के लिए आवेदक से कोई अन्य दस्तावेज नहीं मांगा जाना चाहिए।

(v) किराए /पट्टे पर लिए गए परिसर के मामले में, जहां किराया या लीज समझौता उपलब्ध नहीं है, आवेदक के परिसर के कब्जे के समर्थन में फॉर्म जीएसटी आरईजी-01 में निर्धारित किसी भी दस्तावेज जैसे आवेदक के नाम पर बिजली बिल की प्रति के साथ एक हलफनामा पर्याप्त होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसे मामलों में, उक्त हलफनामा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक की उपस्थिति में न्यूनतम मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना होगा।

(vi) यदि व्यवसाय का मुख्य स्थान विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में स्थित है या आवेदक एक विशेष आर्थिक क्षेत्र डेवलपर है, तो भारत सरकार द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेज/प्रमाणपत्र अपलोड किए जाने आवश्यक हैं।

ख. व्यवसाय के गठन के संबंध में मुद्दे:

(i) व्यवसाय के गठन के संबंध में, जहां आवेदक भागीदारों में से एक है, व्यवसाय के गठन के प्रमाण के लिए साझानाम आवेदक द्वारा अपलोड किया जाना आवश्यक है। आवेदक से कोई अतिरिक्त दस्तावेज जैसे उद्यम प्रमाण पत्र, एमएसएमई प्रमाण पत्र, दुकान स्थापना प्रमाण पत्र, व्यापार लाइसेंस आदि नहीं मांगे जाने चाहिए।

(ii) ऐसे मामलों में, जहां आवेदक सोसायटी, ट्रस्ट, क्लब, सरकारी विभाग, व्यक्तियों का संगठन या व्यक्तियों का निकाय, स्थानीय प्राधिकरण, वैधानिक निकाय और अन्य आदि है, आवेदक द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र/गठन का प्रमाण अपलोड किया जाना आवश्यक है।

7. यह देखा गया है कि संभावित प्रश्नों को उठाकर विभिन्न अवांछित दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। उठाए गए कुछ सामान्य प्रश्न हैं कि आवेदक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आवासीय पता उसी शहर या राज्य में नहीं है, जहां पंजीकरण मांगा गया है; पंजीकरण आवेदन में आवेदक द्वारा उल्लिखित माल का एचएसएन कोड उस राज्य में बिक्री के लिए प्रतिबंधित या निषिद्ध है, जहां आवेदक व्यवसाय करना चाहता है; पंजीकरण आवेदन में उल्लिखित प्रकार की गतिविधियां उस विशेष परिसर से संचालित नहीं की जा सकती हैं आदि। पंजीकरण आवेदनों को संभालने वाले अधिकारियों को आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों या जानकारी से संबंधित कोई भी प्रकल्पित प्रश्न नहीं पूछना चाहिए।

8. पंजीकरण आवेदन कीप्रक्रिया:

(i) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, फॉर्म जीएसटी आरईजी-01 आवेदक द्वारा फोटोग्राफ, व्यवसाय के गठन, व्यवसाय के मुख्य स्थान, बैंक खाते आदि के संबंध में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की एक सूची निर्धारित करता है। उचित अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उक्त दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करेगा कि दस्तावेज सुपाठ्य, पूर्ण और प्रासंगिक हैं। इसके अलावा, आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी या विवरण की भी उचित अधिकारी द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए ताकि उसकी पूर्णता की जांच की जा सके, अपलोड किए गए दस्तावेजों के साथ उसका सहसंबंध और प्रति-सत्यापन किया जा सके और आवेदक की प्रामाणिकता की जांच की जा सके। व्यवसाय के मुख्य और अतिरिक्त स्थानों के पते के विवरण और पते के प्रमाण के रूप में आवेदन के साथ अपलोड किए गए संबंधित दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा सकती है ताकि ऐसे व्यवसाय के स्थानों के पते की पूर्णता और शुद्धता को सत्यापित किया जा सके। इसके अलावा, जहां तक संभव हो, पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों जैसे कि भूमि रजिस्ट्री, बिजली वितरण कंपनियों, नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों आदि जैसे संबंधित अधिकारियों की वेबसाइटों से प्रति-सत्यापित किया जा सकता है।

(ii) जहां आवेदनों को डेटा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर सामान्य पोर्टल पर जोखिमपूर्ण के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है, और उन्हें पूर्ण और बिना किसी कमी के पाया जाता है, अधिकारियों को आवेदन जमा करने के 07 कार्य दिवसों के भीतर आवेदन को मंजूरी देनी चाहिए।

(iii) जहां आवेदन निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत आते हैं, वहां व्यवसाय के स्थान के भौतिक सत्यापन के बाद आवेदन प्रस्तुत करने के तीस दिनों के भीतर पंजीकरण प्रदान किया जाना चाहिए :

क. आवेदक ने आधार संख्या का प्रमाणीकरण करवाया है और डेटा विश्लेषण तथा जोखिम मापदंडों के आधार पर सामान्य पोर्टल पर उसे जोखिमपूर्ण चिह्नित किया गया है, या

ख. आवेदक आधार संख्या का प्रमाणीकरण करवाने में विफल रहता है, या आधार प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुनता है, या

ग. अधिकारी सहायक आयुक्त या उससे ऊपर के अधिकारी की स्वीकृति से व्यवसाय के स्थान का भौतिक सत्यापन करना उचित समझता है।

(iv) ऊपर वर्णित मामलों में, जहां भौतिक सत्यापन किया जाना है, सक्षम अधिकारी सीजीएसटी नियमों के नियम 9 के प्रावधानों के साथ उसके नियम 25 के अनुसार व्यवसाय के स्थान के भौतिक

सत्यापन के लिए तुरंत प्रक्रिया शुरू करेगा। इस संबंध में, संबंधित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन जमा करने की तिथि से 30 दिनों की समयावधि समाप्त होने से कम से कम 05 दिन पहले फोटो सहित अन्य दस्तावेजों के साथ भौतिक सत्यापन रिपोर्ट **फॉर्म जीएसटी आरईजी-30** में सिस्टम पर अपलोड कर दी जाए। भौतिक सत्यापन करने वाला अधिकारी निम्नलिखित बिंदुओं को सुनिश्चित करेगा:

क. आवेदक द्वारा घोषित व्यवसाय के मुख्य स्थान के अस्तित्व/गैर-अस्तित्व के संबंध में एक विशिष्ट रिपोर्ट दें।

ख. यदि इकाई अस्तित्व में नहीं पाई जाती है, तो उक्त परिसर का पता लगाने के संबंध में किए गए प्रयासों को भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में दर्ज किया जाना चाहिए।

ग. भौतिक सत्यापन प्रक्रिया के दौरान जीपीएस समर्थ साइट फोटोग्राफ और अन्य दस्तावेज, यदि कोई हो, पोर्टल पर अपलोड करें।

घ. यदि भौतिक सत्यापन के लिए निर्दिष्ट एआरएन किसी भिन्न क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो उसे संबंधित अधिकारी द्वारा पोर्टल के माध्यम से तुरंत उसके सही क्षेत्राधिकार में पुनः निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

(v) सक्षम अधिकारी निम्नलिखित मामलों में **फॉर्म जीएसटी आरईजी-03** में स्पष्टीकरण या जानकारी या दस्तावेज मांग सकता है:

क. जहां कोई दस्तावेज अधूरा या अपठनीय हो, वहां सक्षम अधिकारी उसकी पूर्ण या पठनीय प्रतिलिपि मांग सकता है।

ख. जहां व्यवसाय के स्थान का पता आवेदक द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ से मेल नहीं खाता है, या जहां ऐसा अपलोड किया गया दस्तावेज़ व्यवसाय के उक्त स्थान के पते का वैध प्रमाण प्रतीत नहीं होता है, तो सक्षम अधिकारी पते के विवरण की पुष्टि करने के लिए ऊपर पैरा 6 में उल्लिखित अतिरिक्त दस्तावेज़ मांग सकता है।

ग. जहां व्यवसाय के स्थान का पता अधूरा या अस्पष्ट है, वहां सक्षम अधिकारी पते का पूरा और स्पष्ट विवरण तथा संबंधित दस्तावेजी प्रमाण मांग सकता है।

घ. जहां आवेदक के पैन से जुड़ा कोई जीएसटीआईएन रद्द या निलंबित पाया जाता है, तो सक्षम अधिकारी, यदि आवश्यक हो, तो आवेदक से स्पष्टीकरण या कारण मांग सकता है।

(vi) सक्षम अधिकारी उपर्युक्त आधारों पर आवेदक को **फॉर्म जीएसटी आरईजी-03**में इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस जारी करेगा, उन मामलों में आवेदन जमा करने की तिथि से 07 कार्य दिवसों के भीतर जहां आवेदनों को उपरोक्त पैरा 8(ii) में उल्लिखित जोखिमपूर्ण चिह्नित नहीं किया गया है या उन मामलों में आवेदन जमा करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर जहां आवेदनों को उपरोक्त पैरा 8(v) में उल्लिखित जोखिमपूर्ण चिह्नित किया गया है। हालांकि, पंजीकरण के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करते समय, यदि सूचीबद्ध दस्तावेजों के अलावा कोई अन्य दस्तावेज मांगा जाना आवश्यक है, तो अधिकारी संबंधित उप/सहायक आयुक्त के अनुमोदन के बाद ही उसे मांगेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कर अधिकारियों की ओर से समय पर कार्रवाई के अभाव में पंजीकरण प्रदान करने के लिए कोई भी आवेदन स्वीकृत न किया जाए। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि आवेदक से ऊपर वर्णित दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा तथा अनुमानित आधार पर कोई स्पष्टीकरण/सूचना/दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। इसके अलावा, अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि छोटी-मोटी कमियों के बारे में पूछताछ न की जाए, जो व्यवसाय के स्थान या व्यवसाय के गठन आदि के प्रमाण स्थापित करने के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

(vii) आवेदक को **फॉर्म जीएसटी आरईजी-03** में जारी नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 07 कार्य दिवसों के भीतर **फॉर्म जीएसटी आरईजी-04** में जवाब प्रस्तुत करना आवश्यक है। सक्षम अधिकारी **फॉर्म जीएसटी आरईजी-04** में आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करेगा। जहां सक्षम अधिकारी आवेदक द्वारा **फॉर्म जीएसटी आरईजी-04** में दिए गए उत्तर से संतुष्ट है, वह ऐसे उत्तर की प्राप्ति की तिथि से 07 कार्य दिवसों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन को मंजूरी देगा। हालांकि, जहां सक्षम अधिकारी आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं है, वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकता है और आवेदक को उत्तर की प्राप्ति की तिथि से 07 कार्य दिवसों के भीतर **फॉर्म जीएसटी आरईजी-05** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित कर सकता है।

(viii) ऐसे मामलों में जहां आवेदक द्वारा **फॉर्म जीएसटी आरईजी-03** में नोटिस जारी करने की तारीख से 07 कार्य दिवसों के भीतर कोई जवाब नहीं दिया जाता है, अधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, ऐसे आवेदन को खारिज कर सकता है और जवाब दाखिल करने की समय सीमा समाप्त होने की तारीख से 07 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को **फॉर्म जीएसटी आरईजी-05** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित कर सकता है।

9. **प्रधान मुख्य आयुक्तों/मुख्य आयुक्तों को यह सलाह दी जाती है कि:**

i. अपने क्षेत्रों में आवधिक समीक्षा के माध्यम से पंजीकरण के आवेदनों के प्रक्रिया की स्थिति की बारीकी से निगरानी करें, जिसमें भौतिक सत्यापन, उठाए जा रहे प्रश्नों की प्रकृति, माने गए पंजीकरण आदि शामिल हैं;

ii. इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है;

iii. पंजीकरण आवेदनों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण आवेदनों को संभालने के लिए पर्याप्त कर्मचारी तैनात करें;

iv. आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले स्वीकार करने वाले दस्तावेजों के साक्ष्य प्रदान करने के लिए अद्वितीय स्थानीय प्रणालियों (ULS)को संबोधित करने के लिए व्यापार नोटिस जारी करें।

10. इन अनुदेशों के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई हो तो बोर्ड की जानकारी में लाया जाए।

भवदिया,

(श्रृंखला कंगाले)

उप सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:

1. प्रधान महानिदेशक, माल और सेवा कर, 5वीं मंजिल, एमटीएनएल बिल्डिंग, भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली, 110066

2. अपर सचिव, जीएसटी परिषद सचिवालय, जीवन भारती बिल्डिंग, टॉवर 2, 5वीं मंजिल नई दिल्ली, 110001 को सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए परिचालन हेतु ।